

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डा० अमीर आफाक अहमद फैजी
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत फौकानिया में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं, इन्टर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं एवं मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को जिला द्वारा अनुसंशित योग्य लाभुकों को बैंक खाते में PFMS के माध्यम से प्रोत्साहन राशि अंतरण हेतु राशि ₹10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये मात्र की निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मैट्रिक/फौकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को एक मुश्त ₹10,000.00 एवं इन्टर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को एक मुश्त क्रमशः ₹15,000.00 प्रोत्साहन के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-1715 दिनांक-14.9.2020 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 से मैट्रिक/बांग्ला भाषाई अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं हेतु शिक्षा विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि का वितरण DBT के माध्यम से कराया जा रहा है। उक्त योजना में शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना के आधार पर विभाग द्वारा राशि आवंटित की जाती है।

3. उक्त योजना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मैट्रिक/बांग्ला भाषाई अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छोड़कर शेष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं एवं इन्टर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं तथा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को विभाग में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के आधार पर प्रोत्साहन राशि ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त आवेदनों के जिला द्वारा सत्यापन एवं भुगतान हेतु अनुशंसोंपरांत विभाग स्तर से PFMS के माध्यम से DBT द्वारा किया जाना है।

4. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत फौकानिया प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं, इन्टर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) छात्राओं एवं मौलवी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को जिला द्वारा सत्यापित एवं अनुसंशित योग्य लाभुकों को बैंक खाते में PFMS के माध्यम से अंतरण हेतु राशि ₹10.00 करोड़ (दस करोड़) रुपये मात्र की निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा उप मुख्य शीर्ष-02 माध्यमिक शिक्षा लघु शीर्ष 107-छात्रवृत्तियाँ मांग संख्या-30, उप शीर्ष-0109-मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना विपत्र कोड 30-2202021070109 विषय शीर्ष-34 छात्रवृत्ति/वजीफा, विषयशीर्ष-02-प्रोत्साहन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी CFMS के माध्यम से उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम-272 के आलोक में BTC Form-43 पर सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से करते हुए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना निम्न खाता में अंतरित करेंगे:-

(i) Name of Account:- MUKHAYAMANTRI VIDYARTHI PROTSHAN YOJANA

(ii) Account Number:- 45461455176

(iii) Name of Bank:- State Bank of India

(iv) Name of Branch:- Patna Secretariat, Sinchai Bhawan, Patna

(v) IFSC Code:- SBIN0000153

7. जिला द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (माध्यमिक) पटना द्वारा इंटर में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक (मुस्लिम) एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं एवं फौकानिया में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के योग्यता एवं पात्रता हेतु आवश्यक वांछित प्रमाण-पत्रों के जाँच, सत्यापन एवं भुगतान हेतु अनुशंसा के पश्चात विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी PFMS के माध्यम से अनुशंसित लाभुकों के बैंक खाता में अंतरित करना सुनिश्चित करेंगे।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-4792, दिनांक-04.08.2021 द्वारा राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से किसी भी परिस्थिति में राशि की निकासी कर बैंक खाता में पार्क नहीं किया जाना है। जिसके अनुपालनार्थ आवंटित राशि यथाशीघ्र लाभुकों के खाते में अंतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. उक्त राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3808, दिनांक-02.06.2017 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निर्देशों के आलोक में करेंगे।

11. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से सहमति प्राप्त है।

12. उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा)/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि:-उप सचिव-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/लेखा शाखा/बजट शाखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि:- राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी, National Informatics Centre, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026...../ पटना, दिनांक:-.....
प्रतिलिपि:- श्रीमति रश्मि, उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय आदेश संख्या-471-सह-पठित ज्ञापांक-3114, दिनांक-06.08.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

ज्ञापांक:- अ०सं०क०-06-04-2026-308...../ पटना, दिनांक:- 21/08/26.....
प्रतिलिपि:- आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-निदेशक 21/8